तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 80/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00182) बअनवान भल्लाराम बनाम सांवलराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

भलाराम

बनाम

सांवलराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 09 व 11
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 12

आदेश

दिनांक 10 जनवरी 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लूणी के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 46/2015 अनवान भलाराम बनाम सावलराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 30 मई 2019 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 22 जुलाई 2019 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 125 रकबा 55.07 बीघा ग्राम भाचरणा तहसील लूणी अपीलांट्स की सहखातेदारी की भूमि है, जिसका विधिवत विभाजन होना है। सह खातेदार द्वारा अन्य सहखातेदार को उसके संयुक्त हिस्से पर काश्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता है एवं यदि किसी तरह दखल किया जाता है ते उसके लिए अस्थाई जारी की जा सकती है। हस्तगत मामले में भी रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स को अपने अपने हक-हिस्से की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 80/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00182) बअनवान भल्लाराम बनाम सांवलराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भूमि पर काश्त करने से महरूम करना चाहते है तथा बिना विभाजन निर्माण करने पर उतारू है। रेस्पोडेंट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स के कथनों का खण्डन भी नहीं किया गया है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को विधि-विरूद्ध तरीके से खारिज कर दिया गया। विचारण न्यायालय में मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 मई 2019 को अपास्त किया जावे एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में चाहा गया वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट्स द्वारा अपने कथनों की पुष्टि हेतु किसी प्रकार के कोई दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 80/2019(जी.सी.एम.एस. नंबर 2019/00182) बअनवान भल्लाराम बनाम सांवलराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2069-2072 ग्राम भाचरणा तहसील लूणी के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा 125 रकबा 55.07 बीघा ग्राम भाचरणा तहसील लूणी राजस्व रेकर्ड में अपीलांट की सहखातेदारी की भूमि दर्ज है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मूलतः अपने हक-हिस्से की संयुक्त जोत में कृषि कार्य करने में रेस्पोडेंट्स द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं किये जाने का अनुतोष चाहा है। कानूनन सहखातेदार को वादग्रस्त आराजीयात में निहित अपने हक-हिस्से एवं कब्जे काश्त अनुसार कृषि कार्य किये जाने से रोका जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होते है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है जो विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

लिहाजा उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30 मई 2019 निरस्त किया जाता है तथा उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है कि वे परस्पर एक-दूसरे के कब्जे काश्त में दखलंदाजी पैदा नहीं करे तथा वर्तमान कब्जे काश्त अनुसार एक-दूसरे को कृषि कार्य किये जाने में अवरोध पैदा नही करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर